

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 2609/वाद सं० आर-1244/एस-7/2025

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

श्री अमित गर्ग,
राजपुर रोड निकट साईं मन्दिर।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर आवासीय भवन में व्यवसायिक गतिविधि का संचालन बिना स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1), 28(1) एवं 28(2) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस एवं कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या आर-1244/एस-7/2025 योजित किया गया है। वाद में सुनवाई हेतु 08.10.2025, 15.10.2025, 29.10.2025, 12.11.2025, 19.11.2025, 26.11.2025, 10.12.2025, 17.12.2025, 24.12.2025, 07.1.2026, 21.1.2026, 28.1.2026, 04.02.2026, 18.2.2026, 02.03.2026, 16.03.2026, 31.3.2026, 06.04.2026, 20.04.2026, 04.05.2026, 11.05.2026, 18.05.2026, 25.5.2026, 1.6.2026, 22.06.2026, 20.07.2026, 03.08.2026, एवं 17.08.2026 की तिथियाँ नियत की गयी, जिसमें विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित रहें। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत निर्माण का कोई शमन मानचित्र संख्या सी.आर-1104/25-26 जमा किया गया था जो कि आपत्तियों का निरकारण नहीं किये जाने के कारण दिनांक 27.05.2026 को निरस्त कर दिया गया था, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा अन्य कोई शमन मानचित्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी के क्रम में क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्या दिनांक 15.09.2026 में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में दिनांक 15.05.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि एक कक्ष में कार्यालयनुमा गतिविधि संचालित की जा रही है एवं लेडिज पार्लर का संचालन बंद कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत स्थल के अग्रभाग में दुकान का संचालन (कमर्शियल शॉप) किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा वाद के समाधान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। विपक्षी वाद को जानबूझ कर लम्बित रखना चाहता है जो कि न्याय के विरुद्ध है। प्रकरण में सील कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रकरण में चालानशुदा अवैध निर्माण के सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

-आदेश-

विपक्षी श्री अमित गर्ग, राजपुर रोड निकट साईं मन्दिर द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर आवासीय भवन में व्यवसायिक गतिविधि का संचालन बिना स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण कार्य को सील किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 24/10/26 को सील किया जाना है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर अपना आवश्यक सामान हटा लें। अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी की स्वयं की होगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

17/10/2026

अमित गर्ग

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 2609 / वाद सं० आर-1244/एस-7/2025

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री अमित गर्ग, राजपुर रोड़ निकट साईं मन्दिर द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर आवासीय भवन में व्यवसायिक गतिविधि का संचालन बिना स्वीकृत मानचित्र के किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं० आर-1244/एस-7/2025 योजित किया गया। अतः उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 22/10/26 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सील की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

- प्रतिलिपि:-1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. थानाध्यक्ष, राजपुर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/ प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहा० अभि०/अव०अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

